

राजस्थान सरकार  
संसदीय कार्य विभाग

क्रमांक: प.17(1)संसद / 2022

जयपुर, दिनांक: 12/12/2023

परिपत्र

विषय:— विधान सभा सत्रकाल के दौरान बैठकें नहीं करने के संबंध में।

15वीं राजस्थान विधान सभा के अट्टम सत्र की बैठक जो मंगलवार, दिनांक 21 मार्च, 2023 को सायं 06 बजकर 43 मिनट पर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी, अब पुनः शुरूवार, दिनांक 14 जुलाई, 2023 को प्रातः 11:00 बजे से प्रारम्भ हो रही है। राजस्थान विधानसभा के माननीय सदस्यों को विभिन्न राज्य स्तरीय / जिला स्तरीय / तहसील स्तरीय समितियों में सदस्यों के रूप में मनोनीत किया जाता है। राजस्थान विधानसभा सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व माननीय विधानसभा अध्यक्ष के निर्देशानुसार संसदीय कार्य विभाग द्वारा एक परिपत्र जारी किया जाता है, जिसके द्वारा समस्त प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव / सम्मानीय आयुक्त / विभागाध्यक्ष / जिला कलेक्टर, पंचायती राज तथा नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विशेष रूप से सत्रकाल के दौरान बैठकें नहीं करने के बारे में निवेदन किया जाता है।

विधान सभा में सत्र के दौरान कुछ माननीय सदस्यों के द्वारा इस मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता रहा है कि सत्र के दौरान अधिकारीगण विभिन्न बैठकें आयोजित करते हैं जिसमें उनकी भागीदारी आवश्यक होती है और उक्त बैठकों में भाग लेने से माननीय सदस्य वंचित रह जाते हैं और यदि वे सदन की कार्यवाही में भाग लेते हैं तो जिला स्तरीय समिति में बिना उनकी सहभागिता के निर्णय ले लिए जाते हैं तथा अधिकारीगण संसदीय कार्य विभाग द्वारा जारी परिपत्र की पालना नहीं करते हैं।

उक्त स्थिति को देखते हुए इस सम्बन्ध में निर्देश दिए जाते हैं कि विधान सभा सत्र प्रारम्भ होने से दो दिवस पूर्व एवं सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के दो दिवस परवात तक (शनिवार एवं रविवार सहित) की अवधि एवं सत्र काल के दौरान राज्य सरकार द्वारा गठित विभिन्न राज्य स्तरीय / जिला स्तरीय / तहसील स्तरीय एवं अन्य समितियों, जिनमें माननीय सदस्यों को भाग लेना पड़ता है, की आयोजित नहीं की जाए एवं विशेष परिस्थितिया बैठक का आयोजन करना अतिआवश्यक हो तो माननीय सदस्यों की पूर्ण सहमति लेये।

यदि भविष्य में बिना माननीय सदस्य की सहमति के बैठक बुलाई जावेगी तो वह माननीय सदस्य के विशेषाधिकार का हनन माना जावेगा और विधानसभा की विशेषाधिकार समिति उक्त दोषी अधिकारी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही कर सकती है।

कृपया परिपत्र में अंकित निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें एवं परिपत्र की प्राप्ति की सूचना भी इस विभाग को तुरन्त भिजवाई जावें।

प्रमुख शासन सचिव

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/  
प्रमुख शासन सचिव एवं शासन सचिवगण।

निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही छेड़ देखित है:—

- प्रमुख सचिव / सचिव, माननीय मुख्यमन्त्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, संसदीय कार्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- संयुक्त सचिव, माननीय मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
- समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलेक्टर्स सहित) / समस्त सम्मानीय आयुक्त, राजस्थान।
- अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि जिनमें मात्र विधायकों की भागीदारी होती है, कृपया संबंधित विश्वविद्यालय एवं अनुदानित विश्वविद्यालय में उपरोक्त परिपत्र की पालना के संबंध में आवश्यक निर्देश प्रसारित करने का श्रम करें।
- अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को प्रेषित कर नियेदन है कि कृपया उपरोक्त परिपत्र के पालन के सम्बन्ध में समस्त विकास प्राधिकरण / नगर निगम / नगर सुधार न्यास / नगर परिषद / नगरपालिकाओं को निर्देश जारी करें।
- अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग को प्रेषित कर नियेदन है कि कृषि उपज मंडी समितियों, जिनमें मात्र विधायकों की भागीदारी होती है, कृपया उपरोक्त परिपत्र के पालन के संबंध में आवश्यक निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।
- अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग / शासन सचिव, सहकारिता विभाग, जिन समितियों में मात्र विधायकों की भागीदारी होती है, कृपया उपरोक्त परिपत्र की पालना सुनिश्चित करने का श्रम करावें।

Signature valid

Digitally signed by Gyan Prakash Gupta  
Designation : Principal Secretary To  
Government

V:\DigiGOV\Rajasthan\FileSystemDMSStore\\_DIGI\_GOV\Intranet\2023.07.11\_10:01:07 IST  
4252168\_251352369868652135.docx  
Reason: Approved



10. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर को परिपत्र के पालन के संबंध में समस्त पंचायत समितियों, एवं जिला परिषद को निर्देश जारी करने का श्रम करें।
11. संयुक्त शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त विशा—निर्देश संसदीय कार्य विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।

**प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—**

12. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
13. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
14. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/खण्ड-पीठ, जयपुर।
15. रक्षित पत्रावली।

**प्रमुख शासन सचिव**

**Signature valid**

Digitally signed by Gy. Arakash Gupta  
Designation : Principal Secretary To  
Government  
Date : 2023-07-11 10:01:07 IST  
Reason: Approved

V:\DigiGOV\Rajasthan\FileSystemDMSStore\DigiGOV\Intranet\2023\07\11\10:01:07 IST  
4252168\_251352369868652135.docx

